

2019-20

संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टी0सी0-1

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,  
अनु सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,  
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-417/मु0म0प्र0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि रुपये 3790,00,00,000/- (रुपये तीन हजार सात सौ नव्वें करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक 11 समान मासिक किश्तों में धनराशि रुपये 320,00,00,000/- (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) तथा माह मार्च, 2020 में 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रुपये 270,00,00,000/- (रुपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी0-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, गाँव संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में

को लेखाशीर्षक  
1 अन्य उपक्रम  
नगर द्वारा निर्गत  
रहित ऋण की  
त जमा किया

मू0ओ0- 72  
मा रहे हैं।

भवदी  
(महावीर प्रसाद)  
उप सचिव

हेतु प्रेषित:-  
नायडू मार्ग

नायडू मार्ग

10, छठवां त

नुभाग-1

आज्ञा

(महावीर प्रसाद)

उप सचिव

उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ, विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार बाध्यता होगी।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-30 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-117/दस्-20 दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या- 57/2019/785(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कौषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।



प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,  
अनु सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,  
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक ०९ मई, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-582/मु०म०प्र०(वित्त)/निधि-11/आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 03 मई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रुपये 3790,00,00,000/- (रुपये तीन हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टी०सी०-1, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 320,00,00,000/- (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रुपये 270,00,00,000/- (रुपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 640,00,00,000/- (रुपये छः सौ चालिस करोड़ मात्र) का आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 3150,00,00,000/- (रुपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रुपये 260,00,00,000/- (रुपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 2890,000,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ नब्बे करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रुपये 289,00,00,000/- (रुपये दो सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

- 3- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहें।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 173 दिनांक 08 मई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव

संख्या-68/2019/972(1)/24-1-19. तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्र 211001।
  - 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्र 211001।
  - 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
  - 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
  - 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गाँव

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।



प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त 2019

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या- 1055 /मु०म०प्र० (वित्त) / निधि-11/ आय-व्ययक /2019-20/374, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रुपये 3790,00,00,000/- (रुपये तीन हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टी०सी०-1, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 320,00,00,000/- (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रुपये 270,00,00,000/- (रुपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 640,00,00,000/- (रुपये छः सौ चालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टी०सी०-1, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 3150,00,00,000/- (रुपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रुपये 260,00,00,000/- (रुपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि 2890,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ नब्बे करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रुपये 289,00,00,000/- (रुपये दो सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

✓

- 2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 1767.00.00.000/- (रुपये एक हजार सात सौ सड़सठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 2023.00.00.000/- (रुपये दो हजार तेईस करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300.00.00.000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1723.00.00.000/- (रुपये एक हजार सात सौ तेईस करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 245.00.00.000/- (रुपये दो सौ पैंतालिस करोड़ मात्र) की 06 समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं सातवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 253.00.00.000/- (रुपये दो सौ तिरपन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।
- 3- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-पिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-261/दस-2019, दिनांक 28 अगस्त, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।


भवदीय,

  
(महावीर प्रसाद गौतम)  
उप सचिव।

संख्या-96(1)/2019/1865(1)/24-1-19, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
  - 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
  - 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
  - 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
  - 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

  
(महावीर प्रसाद गौतम)  
उप सचिव।



प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2019

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या- 1162/मु०म०प्र० (वित्त) / निधि-11/ आय-व्ययक /2019-20/374, दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रुपये 3790,00,00,000/- (रुपये तीन हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टी०सी०-1, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 320,00,00,000/- (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रुपये 270,00,00,000/- (रुपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 640,00,00,000/- (रुपये छः सौ चालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टी०सी०-1, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 3150,00,00,000/- (रुपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रुपये 260,00,00,000/- (रुपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि 2890,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ नब्बे करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रुपये 289,00,00,000/- (रुपये दो सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।





2- पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 1767,00,00,000/- (रुपये एक हजार सात सौ सड़सठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या- 96/2019/1865/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 2023,00,00,000/- (रुपये दो हजार तेईस करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1723,00,00,000/- (रुपये एक हजार सात सौ तेईस करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 245,00,00,000/- (रुपये दो सौ पैतालिस करोड़ मात्र) की 06 समान मासिक किशतों में तथा अन्तिम एवं सातवीं किशत माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 253,00,00,000/- (रुपये दो सौ तिरपन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 2312,00,00,000/- (रुपये दो हजार तीन सौ बारह करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1478,00,00,000/- (रुपये एक हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1178,00,00,000/- (रुपये एक हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 195,00,00,000/- (रुपये एक सौ पंचान्नबैं करोड़ मात्र) की पाँच समान मासिक किशतों में तथा अन्तिम एवं छठवीं किशत माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 203,00,00,000/- (रुपये दो सौ तीन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

4- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उपग्रह पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 275 /दस-2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।





संख्या- 106 /2019/2010(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।





प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उ०प्र० शासना

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक ०९ अक्टूबर, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या- 1290/ अधि०नि० (वित्त) /निधि-11/ आय-व्ययक/ 2019-20/374, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के वजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रुपये 3790,00,00,000/- (रुपये तीन हजार सात सौ नव्वे करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टी०सी०-1, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 320,00,00,000/- (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रुपये 270,00,00,000/- (रुपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 140,00,00,000/- (रुपये छः सौ चालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टी०सी०-1, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 3150,00,00,000/- (रुपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से मई, 2019 में धनराशि रुपये 260,00,00,000/- (रुपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उपरान्त अवशेष धनराशि 2890,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ नव्वे करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रुपये 289,00,00,000/- (रुपये दो सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में स्वीकृत कर आहरित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी।



2- पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 1767,00,00,000/- (रुपये एक हजार सात सौ सड़सठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या- 96/2019/1365/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 2023,00,00,000/- (रुपये दो हजार तेईस करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1723,00,00,000/- (रुपये एक हजार सात सौ तेईस करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 245,00,00,000/- (रुपये दो सौ पैंतालिस करोड़ मात्र) की 06 समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं सातवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 253,00,00,000/- (रुपये दो सौ तिरपन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या- 106/2019/2010/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 2312,00,00,000/- (रुपये दो हजार तीन सौ बारह करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1478,00,00,000/- (रुपये एक हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1178,00,00,000/- (रुपये एक हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 195,00,00,000/- (रुपये एक सौ पंचान्नवें करोड़ मात्र) की पाँच समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं छठवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 203,00,00,000/- (रुपये दो सौ तीन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 2807,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ सात करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 983,00,00,000/- (रुपये नौ सौ तिरासी करोड़ मात्र) में से दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रुपये 250,00,00,000/- (रुपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) एवं दिनांक 22 या 23 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रुपये 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़ मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रुपये 450,00,00,000/- (रुपये चार सौ पचास करोड़ मात्र) माह अक्टूबर, 2019 में आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 533,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ तैंतीस करोड़ मात्र) को माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2019 में धनराशि रुपये 175,00,00,000/- (रुपये एक सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) की दो समान समान मासिक किश्तों में तथा अवशेष धनराशि रुपये 183,00,00,000/- (रुपये एक सौ तिरासी करोड़



मात्र) को माह जनवरी, 2020 में तृतीय किस्त के रूप में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

4- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-विजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सविस्डी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 285 /दस-2019, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सहावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

संख्या- 112 /2019/2160(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सहावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।





प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 21 नवम्बर, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या- 1443/ अधि०नि०(वित्त)/ निधि-11/आय-व्ययक/ 2019-20/374, दिनांक 14 नवम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रुपये 3790,00,00,000/- (रुपये तीन हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टी०सी०-1, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 320,00,00,000/- (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रुपये 270,00,00,000/- (रुपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 640,00,00,000/- (रुपये छः सौ चालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टी०सी०-1, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 3150,00,00,000/- (रुपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रुपये 260,00,00,000/- (रुपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि 2890,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ नब्बे करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रुपये 289,00,00,000/- (रुपये दो सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।





2- पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 1767,00,00,000/- (रुपये एक हजार सात सौ सड़सठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या- 96/2019/1865/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 2023,00,00,000/- (रुपये दो हजार तेईस करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1723,00,00,000/- (रुपये एक हजार सात सौ तेईस करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 245,00,00,000/- (रुपये दो सौ पैतालिस करोड़ मात्र) की 06 समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं सातवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 253,00,00,000/- (रुपये दो सौ तिरपन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या- 106/2019/2010/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 2312,00,00,000/- (रुपये दो हजार तीन सौ बारह करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1478,00,00,000/- (रुपये एक हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1178,00,00,000/- (रुपये एक हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 195,00,00,000/- (रुपये एक सौ पंचान्नबैं करोड़ मात्र) की पाँच समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं छठवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 203,00,00,000/- (रुपये दो सौ तीन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या- 112/2019/2160/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 2807,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ सात करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अब अवशेष धनराशि रुपये 983,00,00,000/- (रुपये नौ सौ तिरासी करोड़ मात्र) में से दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रुपये 250,00,00,000/- (रुपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) एवं दिनांक 22 या 23 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रुपये 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़ मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रुपये 450,00,00,000/- (रुपये चार सौ पचास करोड़ मात्र) माह अक्टूबर, 2019 में आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 533,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ तैंतीस करोड़ मात्र) को माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2019 में धनराशि रुपये 175,00,00,000/- (रुपये एक सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) की दो समान समान मासिक किश्तों में तथा अवशेष धनराशि रुपये 183,00,00,000/- (रुपये एक सौ तिरासी करोड़ मात्र) को माह





जनवरी, 2020 में तृतीय किशत के रूप में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 3432,00,00,000/- (रुपये तीन हजार चार सौ बत्तीस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अब अवशेष धनराशि रुपये 358,00,00,000/- (रुपये तीन सौ अठ्ठावन करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़ मात्र) को माह नवम्बर, 2019 में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

4- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 312 /दस-2019, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

संख्या-127/2019/2370(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।





प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 05 दिसम्बर, 2019

**विषय:-**वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या-1492/ अधिOनिO(वित्त)/ निधि-11/आय-व्ययक/ 2019-20/374, दिनांक 25 नवम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रुपये 3790,00,00,000/- (रुपये तीन हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टीOसीO-1, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 320,00,00,000/- (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रुपये 270,00,00,000/- (रुपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 640,00,00,000/- (रुपये छः सौ चालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टीOसीO-1, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 3150,00,00,000/- (रुपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रुपये 260,00,00,000/- (रुपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि 2890,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ नब्बे करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रुपये 289,00,00,000/- (रुपये दो सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।







2- पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 1767,00,00,000/- (रुपये एक हजार सात सौ सड़सठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या- 96/2019/1865/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 2023,00,00,000/- (रुपये दो हजार तेईस करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1723,00,00,000/- (रुपये एक हजार सात सौ तेईस करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 245,00,00,000/- (रुपये दो सौ पैंतालिस करोड़ मात्र) की 06 समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं सातवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 253,00,00,000/- (रुपये दो सौ तिरपन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या- 106/2019/2010/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 2312,00,00,000/- (रुपये दो हजार तीन सौ बारह करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1478,00,00,000/- (रुपये एक हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1178,00,00,000/- (रुपये एक हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 195,00,00,000/- (रुपये एक सौ पंचान्नबैं करोड़ मात्र) की पाँच समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं छठवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 203,00,00,000/- (रुपये दो सौ तीन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या- 112/2019/2160/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 2807,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ सात करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अब अवशेष धनराशि रुपये 983,00,00,000/- (रुपये नौ सौ तिरासी करोड़ मात्र) में से दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रुपये 250,00,00,000/- (रुपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) एवं दिनांक 22 या 23 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रुपये 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़ मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रुपये 450,00,00,000/- (रुपये चार सौ पचास करोड़ मात्र) माह अक्टूबर, 2019 में आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 533,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ तैंतीस करोड़ मात्र) को माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2019 में धनराशि रुपये 175,00,00,000/- (रुपये एक सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) की दो समान समान मासिक किश्तों में तथा अवशेष धनराशि रुपये 183,00,00,000/- (रुपये एक सौ तिरासी करोड़ मात्र) को माह







जनवरी, 2020 में तृतीय किशत के रूप में आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या- 127/2019/2370/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से 3432,00,00,000/- (रूपये तीन हजार चार सौ बत्तीस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 358,00,00,000/- (रूपये तीन सौ अठ्ठावन करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) माह नवम्बर, 2019 में आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 3632,00,00,000/- (रूपये तीन हजार छः सौ बत्तीस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अब अवशेष धनराशि रूपये 158,00,00,000/- (रूपये एक सौ अठ्ठावन करोड़ मात्र) को माह दिसम्बर, 2019 में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

4- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 322 /दस-2019, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

संख्या-133/2019/2474(1)/24-1-19. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।





प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,  
उप सचिव,  
उओप्रओ शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उओप्रओ पावर कारपोरेशन लि०,  
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी, 2020

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-74/अधि०नि० (वित्त) /निधि-11/ आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 13 जनवरी, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 1000,00,00,000/- (रुपये एक हजार करोड़ मात्र) के सोपक्ष अवशेष धनराशि रुपये 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़ मात्र) में से माह फरवरी, 2020 में धनराशि रुपये 250,00,00,000/- (रुपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) को आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उओप्रओ पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के तहत "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-09/दस-2020, दिनांक 04/04/2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

संख्या- 11 /2020/(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।



प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,  
उप सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,  
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-231/अधि०नि० (वित्त) /निधि-11/ आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 1000,00,00,000/- (रुपये एक हजार करोड़ मात्र) के सोपक्ष अवशेष धनराशि रुपये 250,00,00,000/- (रुपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) को माह फरवरी, 2020 में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2



5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेख "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन 8 क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 30 /दस दिनांक 26 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

संख्या- 16 /2020/388(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-418/मु०म०प्र०(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-83 के बजट में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के लिए क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि रुपये 1010,00,00,000/- (रुपये एक हजार दस करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक 11 समान मासिक किश्तों में धनराशि रुपये 80,00,00,000/- (रुपये अस्सी करोड़ मात्र) तथा माह मार्च, 2020 में 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रुपये 130,00,00,000/- (रुपये एक सौ तीस करोड़ मात्र) में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी०-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में



उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-118/दस-2019, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-58/2019/784(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 2- समाज कल्याण विभाग (कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ), 30प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 4- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 5- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।



प्रेषक:

आनन्द कुमार बिपाठी,

अनु सचिव,

50प्र0 शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

50प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 03 मई, 2019

ऊर्जा अनुभाग-1

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-583/मु0अ0प्र0(वित्त)/निधि-11/आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 03 मई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रुपये 1010,00,00,000/- (रुपये एक हजार दस करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-58/2019/784/24-1-19-784(बजट)/2019, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 80,00,00,000/- (रुपये अस्सी करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रुपये 130,00,00,000/- (रुपये एक सौ तीस करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से माह अप्रैल, एवं मई, 2019 में धनराशि रुपये 160,00,00,000/- (रुपये एक सौ साठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 850,00,00,000/- (रुपये आठ सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रुपये 75,00,00,000/- (रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 775,00,00,000/- (रुपये सात सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रुपये 77,50,00,000/- (रुपये सतहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

- 3- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-789-अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना- 03- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुसुब्सीडी" के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 174 /दस दिनांक 08 मई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठ)  
अनु सचिव।

संख्या- 69 /2019/973(1)/24-1-19, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
  - 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
  - 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
  - 4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल के.ए. भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
  - 5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
  - 6- समाज कल्याण विभाग (कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ) 30प्र0 शासन।
  - 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गाई बुक

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठ)  
अनु सचिव।



प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,  
उप सचिव,  
उOप्रO शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,  
उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,  
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2019

**विषय:-**वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या- 1143/ मुOमOप्रO (वित्त) /निधि- 11/ आय-व्ययक/ 2019-20/ 374, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रुपये 1010,00,00,000/- (रुपये एक हजार दस करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या- 58/2019/784/24-1-19-784(बजट)/2019, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 80,00,00,000/- (रुपये अस्सी करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रुपये 130,00,00,000/- (रुपये एक सौ तीस करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः स्वीकृत धनराशि में से माह अप्रैल, एवं मई, 2019 में धनराशि रुपये 160,00,00,000/- (रुपये एक सौ साठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-69/2019/973/24-1-19-784(बजट)/2019, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 850,00,00,000/- (रुपये आठ सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रुपये 75,00,00,000/- (रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 775,00,00,000/- (रुपये सात सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रुपये 77,50,00,000/- (रुपये सतहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

7



2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 545,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ पैंतालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 465,00,00,000/- (रुपये चार सौ पैंसठ करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 में धनराशि रुपये 300,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा अवशेष धनराशि रुपये 165,00,00,000/- (रुपये एक सौ पैंसठ करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह दिसम्बर, 2019 तक धनराशि रुपये 55,00,00,000/- (रुपये पचपन करोड़ मात्र) की तीन समान मासिक किश्तों में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 03- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27- सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 274 /दस-2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

संख्या-107/2019/2011(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 2- समाज कल्याण विभाग (कल्याण प्रकोष्ठ) 30प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 6- समाज कल्याण विभाग (कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ) 30प्र0 शासन।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक २९ जुलाई, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को विद्युत कर भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध समायोजन द्वारा राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-857/अधि०नि०(वित्त)/विप्र-2/विद्युत कर/345/2017, दिनांक 06 जुलाई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को वित्तीय वर्ष 2019-20 में विद्युत कर वसूली के विरुद्ध समायोजन हेतु क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि रुपये 3120,00,00,000/- (रुपये तीन हजार एक सौ बीस करोड़ मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रुपये 350,00,00,000/- (रुपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) की आठ समान मासिक किश्तों माह जुलाई, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक तथा धनराशि रुपये 320,00,00,000/- (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) माह मार्च, 2020 में अन्तिम किश्त के रूप में पुस्तक समायोजन द्वारा किया जायेगा।


3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, वाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।



- 5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त) 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "280 विजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-10- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-27 सविस्डी" के नामे डाला जायेगा तथा यह भुगतान पुस्तक समायोजन द्वारा प्राप्त लेखाशीर्षक "0043-विद्युत कर तथा शुल्क-101-विद्युत के उपभोग और विक्री पर कर 01-विद्युत के उपभोग और विक्री पर कर" के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 230 /दस-20 दिनांक 26 जुलाई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


  
(महावीर प्रसाद गौतम)  
उप सचिव।

संख्या- 90 /2019/1450(1)/24-1-19. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल मकान, सैक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

  
(महावीर प्रसाद गौतम)  
उप सचिव।



प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक २७ मई, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रुपये 30000 लाख के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/71/लेखा-निजी नल0/2019-20 दिनांक 16 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख ( रूपए बारह सौ करोड मात्र ) में से प्रथम त्रैमास हेतु रु0 30000.00 लाख ( रूपए तीन सौ करोड मात्र ) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपए 30000.00 लाख की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त अगले त्रैमास हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी। सामान्य निर्वाचन, 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप

से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

( उमा कान्त पाठक )

संयुक्त सचिव।

संख्या: 22/2019/1263(1) /12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने के उपरान्त द्वितीय किश्त की धनराशि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( उमा कान्त पाठक )

संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 29 जुलाई, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रुपये 30000 लाख के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/470/लेखा-निजी नल0/2019-20 दिनांक 12 जुलाई, 2019 तथा शासनादेश संख्या:22/2019/1263/12-2-2019-बजट.3/2010 दिनांक 27 मई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख ( रूपए बारह सौ करोड मात्र ) में से द्वितीय त्रैमास हेतु रु0 30000.00 लाख ( रूपए तीन सौ करोड मात्र ) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपए 30000.00 लाख की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त अगले त्रैमास हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश





बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

( उमा कान्त पाठक )

संयुक्त सचिव।

संख्या: /2019/2067 (1) /12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने के उपरान्त तृतीय किश्त की धनराशि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( उमा कान्त पाठक )

संयुक्त सचिव।





प्रेषक,

जे० पी० सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रुपये 200.00 करोड के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि०/920/लेखा-निजी नल०/2019-20 दिनांक 18 सितम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि रूप 120000.00 लाख (रुपे बारह सौ करोड मात्र) में से तृतीय तृतीय किश्त की धनराशि रु० 200.00 करोड (रुपे दो अरब मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रुपये 200.00 करोड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त शेष धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणीकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय जाप संख्या: 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

( जे० पी० सिंह )

संयुक्त सचिव।

संख्या: 35/2019/2728 (1) /12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने के उपरान्त शेष धनराशि रुपये 100.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( जे० पी० सिंह )

संयुक्त सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।





प्रेषक,

जे० पी० सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रुपये 100.00 करोड़ के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 35/2019/2728/12-2-2019-बजट.3/2010 दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख ( रूपए बारह सौ करोड़ मात्र ) में से तृतीय किश्त की शेष धनराशि रू० 100.00 करोड़ ( रूपए एक अरब मात्र ) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपए 100.00 करोड़ की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त शेष धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

( जे० पी० सिंह )

विशेष सचिव।

संख्या 43/2019/2884(1) /12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को कराने के उपरान्त अवशेष धनराशि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( जे० पी० सिंह )

विशेष सचिव।



प्रेषक,

मासूम अली सरवर,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रुपये 100.00 करोड के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 35/2019/2728/12-2-2019-बजट.3/2010 दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख ( रूपए बारह सौ करोड मात्र ) के सापेक्ष माह नवम्बर, 2019 से जनवरी, 2020 तक की अवशेष रूपये 300.00 करोड में से रु0 100.00 करोड ( रूपए एक अरब मात्र ) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपए 100.00 करोड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त शेष धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में नितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में नितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



प्रेषक,

मासूम अली सरवर,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 17 जनवरी, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रुपये 200.00 करोड के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 61/2019/3520/12-2-2019-बजट.3/2010 दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख ( रूपए बारह सौ करोड मात्र ) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 200.00 करोड ( रूपए दो अरब मात्र ) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की





स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

( मासूम अली सरवर )  
विशेष सचिव।

संख्या: 1/2020/ 138 (1) /12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( मासूम अली सरवर )  
विशेष सचिव।

